मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 16 / 2022

1. मोहनलाल पुत्र महेन्द्र कुमार जाति जाट साकिन 75000 आर.डी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
2. मुकेश कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार जाति जाट साकिन 75000 आर.डी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।

– – वादीगण

ब ना म

1. महेन्द्र कुमार पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन 75000 आर.डी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
2. अनसुईया पुत्री महेन्द्र कुमार जाति जाट साकिन 75000 आर.डी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़

– – प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :– 27/1/2022

वादीगण की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया एडवोकेट एवं प्रतिवादी सं. 1, 2 की और से श्री बलवीर मोयल, अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक 27.01.2022 को रणजीत कुमार आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित भूमि चक नं. 75000 आर.डी. के खाता सं. 36 के प.नं. 66 / 358 के किला नं. 1 / 1, 1 / 2 2 ता 9 10 / 1, 10 / 2, 11 / 1, 11 / 2, 12 ता 19, 20 / 1, 20 / 2, 21 / 1, 21 / 2, 22 ता 25 कुल 6.325 हैक. मे से वादीगण को 3.036 हैक. ब.हि.ब. का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष रकबा प्रतिवादी सं. 1 का बदस्तुर रखा जाता है । तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन एवं रहन नहीं हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 27/1/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:51:29 IST
Reason: SelfAttested

27.01.2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा